कार्यालय जिला पंचायत रीवा (म0प्र0)

परिशिष्ट "[8/2/2024]"

क्र./10032/जि.पं./लोकपाल/2024 प्रश्न सं. [क्र. 323] रीवा दिनांक 30/01/2024

प्रति,

आयुक्त,
म0प्र0 राज्य रोजगार गारण्टी परिषद
भोपाल म0प्र0।

विषयः– प्रकरण कमांक 26/2016 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी. नम्बर 14605/15 दिए गये निर्देश के तारतम्य में सच्चिदानंद शुक्ला पूर्व सचिव ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा शासन की योजना अन्तर्गत रोजगार गारण्टी द्वारा संचालित सडक व अन्य निर्माण में व्यापक पैमाने पर किये गए भ्रष्टाचार एवं राशि दुरूपयोग की जॉच की जाकर की गई कार्यवाही की जानकारी के संबध में।

संदर्भ :–म0प्र0 राज्य रोजगार गारण्टी परिषद का पत्र क0 6854/लोकपाल/एनआर–14/2023 भोपाल दिनॉक 08.11.2023।

विषयाकिंत संदर्भित प्रकरण कमांक 26/2016 लोकपाल आदेश दिनॉक 19.10.2023 को पारित अधिनिर्णय अनुसार श्री सच्चिदानंद शुक्ला पूर्व सचिव ग्राम पंचायत रामपुर जनपद पंचायत मऊगंज जिला रीवा के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाए जाने पर की गई कार्यवाही के संबध में जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त प्रकरण में मुख्यालय स्तर से जॉच अधिकारी श्री एस.के. नेमा उपसंचालक पंचायती राज संचनालय के जॉच प्रतिवेदन एवं पत्र क0 पं.रा/एफ–1/2019/768 15.01.2019 के द्वारा दोषी सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 40/92 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस संबध में मुख्यकार्यपालन जनपद पंचायत मउगंज का पत्र कमांक 1001 दिनॉक 27.08.2019 के साथ सहायक यंत्री, उपयंत्री, एवं खण्ड पंचायत अधिकारी मउगंज का संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें वसूली निरंक प्रतिवेदित की गई है। तथा संबधित प्रकरण के संबध में पूर्व में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क0. 02 रीवा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन कमांक 779 दिनॉक 23.11.2017 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में ठोस आधार एवं प्रमाण न होने के कारण शिकायत की पुष्टि नही की जा सकी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रतिवेदनों के आधार पर धारा 40/92 में पंजीबद्ध प्रकरण के दोषी सचिव को विहित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं संबधित सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परिक्षण किये जाने के उपरान्त प्रकरण में वित्तीय अनिमितता प्रतिवेदित न होने के कारण विहित प्राधिकारी द्वारा दिनॉक 30.09.2019 को उक्त प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

लोकपाल मनरेगा मुख्यालय रीवा के पत्र क0 428/मनरेगा प्रकरण/क0 26/2016 दिनॉक 11.07.2023 के परिपालन में ग्राम पंचायत रामपुर जनपद पंचायत मउगंज के जॉच हेतु दिनॉक 13.07.2023 को त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाकर उपरोक्त शिकायती पत्र की बिन्दुवार जॉच कराई गई। दिनॉक 15.07.2023 को गठित समिति द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में यह लेख किया गया कि स्थल पर कराये गए सभी कार्यो का मूल्यांकन तत्कालीन उपयंत्री द्वारा किया गया है एवं मूल्यांकन के आधार पर ही एजेन्सी द्वारा भुगतान किया गया है तथा एमआईएस फीडिंग कराया जाना उल्लेखित करते हुए दोष मुक्त किया गया है।

उक्त स्थिति में श्री सच्चिदानंद शुक्ला पूर्व सचिव ग्राम पंचायत रामपुर जनपद पंचायत मऊगंज जिला मऊगंज के विरूद्ध कार्यवाही नही की गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रीवा (म0प्र0)

पृ0क्र./ /जि.पं /लोकपाल/2024 10032 रीवा दिनांक 30/01/2024

प्रतिलिपिः–
1. कलेक्टर जिला रीवा ओर सादर सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रीवा (म0प्र0)
30/1/2024

सुधीर खाण्डेकर
उपायुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद